संख्या:19/2021/971/12-2-2021-बजट.4/2016

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत मद 27-सब्सिडी में अतिरिक्त धनराशि रूपये 160.00 करोड़ के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:एस-2728/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2020-21 दिनांक 24 मार्च, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रूपये 160.00 करोड़ (रूपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से (फार्म बीएम-9 भाग-1 संलग्न) आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मदों में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय इसी वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त योजना के लिए ही किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों व निर्धारित प्रक्रिया का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड-लाईन्स के अनुसार धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 लेखाशीर्षक 2402-जल संरक्षण-00-103-भूमि सुधार तथा विकास 09-पं0 दीदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना में मानक मद 27-सब्सिडी में रूपये 489.00 लाख तथा 42-अन्य व्यय में रूपये 10349.00 लाख कुल रूपये 10838.00 लाख की बचत, लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 11 वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबंधन में मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 1507.00 लाख की बचत, लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-103-बीज 04 प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजना में मानक मद 27-सब्सिडी में रूपये 1665.00 लाख की बचत एवं लेखाशीषक 2401-फसल कृषि कर्म 00-103-बीज 05 संकर बीजों पर अनुदान की योजना में मानक मद 27-सब्सिडी में रूपये 1990.00 लाख की बचत, इस प्रकार उपरोक्त योजनाओं में कुल धनराशि रूपये 16000.00 लाख की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से आहरित कर व्यय की जायेगी।

4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

5. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रपत्र बी0एम0-9 में बतायी गयी बचतों के सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:19 / 2021/971(1)/12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को बी0एम0-09 की 03 प्रतियों सहित।
5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
6.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ:बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2020-21

प्रपत्र बीएम-9

धनराशि (लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त संक्रमण धनराशि
1	2	3	4	
लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण 00-103-भूमि सुधार तथा विकास 09-पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2402001030900				
27-सब्सिडी	931.00	931.00	489.00	
42-अन्य व्यय	10349.00	10349.00	10349.00	
योग	11280.00	11280.00	10838.00	
लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 11-वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबंधन 2401001091100				
42-अन्य व्यय	1507.00	1507.00	1507.00	
योग	1507.00	1507.00	1507.00	
लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-103-बीज 04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजना 1401001030400				
27-सब्सिडी	5500.00	1665.00	1665.00	
योग	5500.00	1665.00	1665.00	
लेखाशीर्षक 2401-2401-फसल कृषि कर्म 00-103-बीज 05 संकर बीजों पर अनुदान की योजना 2401001030500				
27-सब्सिडी	2000.00	1990.00	1990.00	
योग	2000.00	1990.00	1990.00	
महायोग	20287.00	16442.00	16000.00	
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त वि
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त वि संक्रमण
7	8	9	(9-8) 10	
लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-110-फसल बीमा - 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-02-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (एन0सी0आई0पी0) 2401001100102				
27-सब्सिडी	45000	61000	16000	
योग:	45000	61000	16000	

(1) स्तम्भ-03 में उपलब्ध बचत का कारण मद में मांग न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ-08 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय एस0एल0सी0 से अनमोदित परियोजनाओं को वित्त पोषण के कारण अधिक व्यय हो रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या: 676/ई-1/398-दस-20

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा ए

उत्तर प्रदेश, इलाहाबा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हस्ताक्षर----------

हस्ताक्षर----------

नाम व पदनाम- राधेश्याम, उप सचिव।

नाम व पदनाम- (फूल चन्द यादव), अनु सचिव,
प्रशासकीय विभाग- कृषि विभाग।
वित्त विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या:19/2021/971/12-2-2021-बजट.4/2016

लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनउं।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।